

## भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई												
02-01-2020	<p style="text-align: center;">विविध वाद सं०-...०३... (B.C.)/2019-20/CNT-46</p> <p style="text-align: center;">भरत चन्द्र महतो, पिता-स्व० रमेश चन्द्र महतो .....आवेदक</p> <p style="text-align: center;">-----बनाम-----</p> <p style="text-align: center;">कैलाश चन्द्र महतो, पिता-स्व० भुवन चन्द्र महतो एव अन्य-01 ..... क्रेता</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) भरत चन्द्र महतो, पिता-स्व० रमेश चन्द्र महतो, ग्राम-जोड़ाम, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति-"कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता कैलाश चन्द्र महतो एवं बिपिन बिहारी महतो, दोनो के पिता-स्व० भुवन चन्द्र महतो, ग्राम-जोड़ाम, थाना-चाकुलिया, अंचल-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति- "कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चाकुलिया</td> <td>जोड़ाम</td> <td>259</td> <td>92</td> <td>123</td> <td>8.40 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक-25/05/2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 09/06/2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक-496, दिनांक:-05/09/2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नहीं दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक के पितामह हाड़ीराम महतो, पिता-कार्तिक महतो के नाम पर किस्म जमीन दोन-2 दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदक आवेदित जमीन को बेचना चाहते है। आवेदित भूमि आवेदक के पितामह हाड़िराम महतो के नाम पर खतियान एवं पंजी-11 में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। लगान वर्ष 2017-18 तक अद्यतन है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या-...61..., दिनांक-...07/11/2019 दाखिल की गई है। मुखिया, ग्राम पंचायत चालुनिया का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त है।</p> <p>आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला क्षेत्र के हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का</p>	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चाकुलिया	जोड़ाम	259	92	123	8.40 डी०	
अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा									
चाकुलिया	जोड़ाम	259	92	123	8.40 डी०									

आवेदक  
02/01/2020

कार्यालय, चाकुलिया द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या- JHCC/2019/03696, दिनांक-04/02/2019, तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या- JHRC/2019/03358, दिनांक-22/03/2019 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2017/334540, दिनांक-04/04/2017 तथा जाति प्रमाण पत्र संख्या-JHCC/2018/606786, दिनांक-09/07/2018 एवं अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाकुलिया से ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2018/1307503, दिनांक-08/10/2018 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2018/1085173, दिनांक-17/11/2018 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इसके आधार पर क्रेता की जाति-कुर्मी एवं विक्रेता भी कुर्मी जाति के सदस्य है एवं सभी एक ही जिला क्षेत्र के निवासी है।

आवेदक 8.40 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल-1,60,000.00/- (एक लाख साठ हजार) रुपये में बेचना चाहते है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा-जोड़ाम का आवासीय योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 4520.00 रुपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 8.40 डीसमल का विक्रय दर 37,968.00 रुपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी चाकुलिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा-जोड़ाम, थाना नं0-259, खाता नं0-92, प्लॉट नं0-123 कुल रकवा-8.40 डीसमल भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता है कि क्रेता-बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे।

लेखापित एवं संशोधित

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त  
-सह--सह-  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

C.C. of Govt order  
is issued.  
09/11/2020